(20)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2183/पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 14-06-2016 पारित द्वारा तहसीलदार, वनखेड़ी, जिला होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 48/अ-27/2015-16.

पोहपसिंह आ. हल्के किरार,
निवासी एवं कास्तकार मौजा खमरिया तह. बनखेड़ी,
जिला होशंगाबाद

................आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती बैजन्तीबाई पत्नि गुलाबसिंह किरार
निवासी महेश्वर, तह. बरेली, जिला रायसेन, म.प्र. ....अनावेदक

श्री सी.एम. गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक

श्री ओ.पी. दुबे, अभिभाषक, अनावेदक

-:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/7/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, वनखेड़ी, जिला होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 14-06-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा ग्राम खमरिया स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा नम्बर 89, 121, 184, 249 कुल रकबा 3.912 हैक्टेयर संयुक्त भूमि पर बंटवारा किये जाने हेतु संहिता की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन पत्र तहसीलदार, बनखेड़ी जिला

होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 48/अ-27/2015-16 दर्ज कर प्रकरण में कार्यवाही प्रारंभ की गई। आवेदक द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न निहित होने से कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध किया गया। तहसीलदार द्वारा दिनांक 14.06.2016 को आदेश पारित कर प्रकरण की कार्यवाही रोकना उचित नहीं होने से प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है:-

(1) एक बार बंटवारा होने के बाद दूसरी बार बंटवारा नहीं किया जा सकता है।

(2) अनावेदिका द्वारा तीन पंजीकृत विक्रय पत्रों के माध्यम से अपने हिस्से की भूमि बेच दी गई है, इसलिये आवेदक द्वारा स्वत्व का प्रश्न तहसील न्यायालय के समक्ष उठाया गया था, जिस पर कोई विचार नहीं करने में तहसीलदार द्वारा अवैधानिकता की गई है, क्योंकि संहिता की धारा 178 में हुए संशोधन के अनुसार यदि हक संबंधी कोई प्रश्न उठाया जाता है तो तहसीलदार अपने समक्ष प्रचलित कार्यवाही को तीन मास की कालावधि तक रोक देगा, जिससे कि हक संबंधी प्रश्न की अवधारणा के लिए सिविल वाद का संस्थित किया जाना मुकर हो जाये। तहसीलदार द्वारा उक्त आज्ञापक वैधानिक प्रावधान के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है, इसलिए उनका आदेश निरस्त किये जानेयोग्य है।

(3) अनावेदक की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस विधि के प्रावधानों के विपरीत है, इसलिए निरस्त किये जाने योग्य है।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4/ अनावेदिक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है:-

(1) उभय पक्ष सगे भाई बहन हैं और उनके पिता के निधन के बाद भूमि नामांतरण के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर उभय पक्ष के नाम दर्ज हुए, जिसमें उभय पक्ष का आधा-आधा हिस्सा है।

(2) अनावेदिका के आवेदन पत्र पर तहसीलदार द्वारा विधिवत् प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है, जिसमें आवेदक द्वारा उत्तर प्रस्तुत कर 40 वर्ष पूर्व बंटवारा हो चुका है और गत वर्ष भूमि का विक्रय कर दिया गया है कहा गया, जबकि पूर्व में कोई बंटवारा हुआ ही नहीं है और ना ही अनावेदक द्वारा कोई भूमि विक्रय की गई है।

(3) अनावेदिका सहखातेदार है और शामिल सरीख भूमि में उसका 1/2 हिस्सा है।

(4) विधि के प्रावधान के अनुसार प्रारंभिक आपत्ति में ही स्वत्व का प्रश्न उठाया जा सकता है। जवाब प्रस्तुत करने के बाद ऐसी आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है और ना ही कार्यवाही स्थगित की जा सकती है।

(5) पिता की सम्पत्ति में पुत्री का वैधानिक रूप से हक होता है और वह अपना हिस्सा विधि अनुरूप लेने की पात्रता रखती है इसमें स्वत्व का प्रश्न संनिहित नहीं है और ना ही उसे उसके हक से वंचित किया जा सकता है।

(6) तहसील न्यायालय द्वारा विधि अनुरूप कार्यवाही की जा रही है, किन्तु आवेदक द्वारा प्रकरण लंबित रखना एवं अनावेदिका को परेशान करने की नियत से निगरानी प्रस्तुत की गई है।

उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को तहसील न्यायालय तथा इस न्यायालय में व्यवहार न्यायालय जाने हेतु पर्याप्त समय मिल चुका है, परन्तु आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय में स्वत्व का निराकरण हेतु वाद प्रस्तुत करने के संबंध में कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। अतः अब तहसीलदार की कार्यवाही रोकने का कोई औचित्य न होने से निगरानी अमान्य किये जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, वनखेड़ी, जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.06.2016 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर